(31)

न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद

[Email-commnarmadapuram@mp.in, phone-07574-250000, fax-07574-254262]

क्रमांक 45 /प्रवाचक–1/2017 होशंगाबाद दिनांक /09/2017

PBR/पुनर्विलोकन/होशंगाबाद/भू.रा/2017/3939 03.10.2017

प्रति,

अध्यक्ष,
माननीय राजस्व मंडल,
मध्यप्रदेश–ग्वालियर

राजस्व मण्डल आवक क्र. 2029 दिनांक 10-10-17

विषयः– पुनर्विलोकन की अनुमति बावत्।

****

उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आवेदक श्री गनेश प्रसाद बल्द श्री रामरतन कोटवार बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद द्वारा न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बनखेड़ी स्थित भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 10.99 एकड़ भूमि, जो कि उसे मालगुजारी के तहत प्राप्त होना अवगत कराते हुए उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर भूमि स्वामी हक प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर द्वारा प्रकरण में जॉचोपरांत प्रकरण क्रमांक 05/अ–19(1)/वर्ष 2013–14 पंजीवद्ध किया जाकर सुनवाई उपरांत दिनांक 03.06.2015 को आदेश पारित कर निष्कर्ष लिया कि आवेदित (भूमि स्वत्व समाप्ति अधिनियम की धारा 45(2) के अंतर्गत /कोटवारों को सेवा भूमि के रूप में बतौर पारिश्रमिक दी गई और ऐसी भूमि पर कोटवारों को मौरूसी हक उत्पन्न नहीं होने से उन्हें भूमि स्वामी नहीं माना जा सकता है।) उल्लेखनीय है कि उपरोक्त स्थिति में आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि का मौरूसी हक उत्पन्न न होने के कारण आवेदक का आवेदन पत्र विचार योग्य न होने से अस्वीकार किया गया।

2– आवेदक/अपीलार्थी श्री गनेश प्रसाद द्वारा न्यायालय कलेक्टर, होशंगाबाद के आदेश दिनांक 03.06.2015 के विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग् होशंगाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई तथा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 12.05.2016 को आदेश पारित किया जाकर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर कलेक्टर का आदेश दिनांक 03.06.2015 निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया द्वारा प्रेषित ज्ञाप दिनांक 04.08.2017 अनुसार लेख किया गया है कि बनखेड़ी वर्तमान में शहरी क्षेत्र नगर पंचायत घोषित हो चुका है तथा बनखेड़ी शहरी क्षेत्र की सीमा की प्रश्नाधीन सेवा भूमि बहुमूल्य भूमि है तथा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा सेवा भूमि धारकों को भूमि स्वामी बनाने हेतु

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/पुनर्विलोकन/होशं/भूरा/17/3939 [शासन / गनेश प्रसाद]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-3-18	आवेदक शासन की ओर से श्री प्रखर डेंगूला शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री योगेन्द्रसिंह भदौरिया उपस्थित । आयुक्त के पुनर्विलोकन की अनुमति के प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुना गया । अनावेदक गणेशप्रसाद के अभिभाषक के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 3-3-2010 की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें कोटवारो के मालगुजारी द्वारा व्यक्तिगत सेवा के रूप में दी गई भूमि का मालिकाना हक दिये जाने संबंधी आदेश जारी करने से पूर्व किन बिन्दुओं का परीक्षण किया जाना है इसका उल्लेख किया गया है जबकि आयुक्त के प्रस्ताव अनुसार प्रथमदृष्टया इस प्रकरण में उक्त स्थिति नहीं है अत: प्रकरण में यह उचित होगा कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 12-5-16 को पुनर्विलोकन में लेकर प्रकरण का पुन: परीक्षण कर आदेश पारित किया जावे। 2/ आयुक्त के प्रस्ताव अनुसार अपर आयुक्त के प्रकरण क्रमांक 66/अपील/वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 12-5-2016 को पुनर्विलोकन में लिये जाने की अनुमति दी जाती है । अध्यक्ष	